संख्या–बी–4– 616/दस–2015–6/1965 टी0सी0

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग–4

लखनऊ दिनांक 31 जुलाई, 2015

विषय: राज्य सरकार द्वारा नगर स्थानीय निकायों को नगरीय सुविधाओं के विकास हेतु रिवॉल्विंग फण्ड से ऋण की वापसी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–बी–4–918/दस–2006–6/ 1965 टी0सी0 दिनांक 21.9.2006 तथा शासनादेश संख्या–बी–4– 29/दस–2011–6/1965 टी0सी0 दिनांक 05.01.2011 के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या–बी–4–240/दस–2012–6/1965 टी0सी0 दिनांक 31.03.2012, शासनादेश संख्या–बी–4–26/दस–2006–6/1965 टी0सी0 दिनांक 21.01.2013, शासनादेश संख्या–बी–4–410/दस–2014–6/1965 टी0सी0 दिनांक 16.06.2014 एवं शासनादेश संख्या बी–4–139/दस–2015, दिनांक 20 फरवरी, 2015 द्वारा नगर स्थानीय निकायों को रिवॉल्विंग फण्ड से स्वीकृत ब्याज रहित ऋण पर मॉरेटोरियम की अवधि 07 वर्ष से बढाकर 08 वर्ष किये जाने के आदेश जारी किये गये थे।

उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर विकास विभाग द्वारा की गयी संस्तुतियों पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि नागर स्थानीय निकायों को रिवॉल्विंग फण्ड से स्वीकृत ब्याज रहित ऋण पर मॉरेटोरियम की अवधि 08 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष (दिनॉक 31.03.2017 तक) कर दी जाय। मॉरेटोरियम की अवधि के समाप्त होने पर ऋण की वसूली 10 समान वार्षिक किश्तों में दिनांक 21 सितम्बर, 2006 के शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(मुकेश मित्तल)
सचिव।